कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/22473/मिड–डे–मील/2018/ दिनांकः 19.06.2020

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा।

विषय :– मिड डे मील योजनान्तर्गत कक्षा– 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) वितरण का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाए जाने हेतु प्रभावी प्रबोधन बाबत्।

प्रसंग :– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक : 12.06.2020

संदर्भ :– आयुक्त, मिड डे मील, आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर के निर्देश पत्रांक : एफ 4(142)प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई/खाद्यान्न उ0वि0आ/पार्ट/ 2020–21/51 एवं 52, दिनांक : 10.06.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने तथा ग्रीष्मावकाश की अवधि के दौरान का खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) कक्षा– 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को दिनांक : 25.06.2020 से पूर्व वितरित किए जाने एवं उक्त कार्य सम्पादन के लिए आवश्यकतानुसार विद्यालय खोलने तथा अध्यापकों की उपस्थिति हेतु निर्देशित किया गया था। प्राप्त सूचनानुसार फील्ड स्तर पर उक्त कार्य सम्पादन की गति अत्यन्त धीमी है तथा उक्तानुरूप निर्धारित समयावधि में लक्ष्यपूर्ति संदिग्ध प्रतीत हो रही है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से शासन स्तर पर मोनिटरिंग किए जा रहे उक्त कार्य के निर्धारित अवधि में निष्पादन हेतु मिड डे मील आयुक्तालय के संदर्भित निर्देश दिनांक : 10.06.2020 के अनुरूप शत–प्रतिशत क्रियान्विति हेतु अग्रांकित निर्देशानुसार प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण करते हुए निर्धारित प्रारूप में निदेशालय की ई–मेल आई डी secondarydd35@gmail.com पर संभाग क्षेत्राधिकार के समस्त जिलों की समेकित प्रगति सूचना प्रतिदिन सांय 5 बजे तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें :–

प्रपत्र–प्रारूप

संभाग का नाम :– दिनांक :–

क्र. सं.	जिला	कक्षा स्तर	सत्रः 2019–20 के नामांकन अनुरूप खाद्यान्न वितरण हेतु विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन के अनुरूप कुल वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा (मीट्रिक टन में)			आज दिनांक तक वितरित किए गए खाद्यान्न की मात्रा (मीट्रिक टन में)			वितरित खाद्यान्न प्रतिशत	विशेष विवरण
				गेहूँ	चावल	योग	गेहूँ	चावल	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10÷7)X100	12
1		कक्षा–1 से 5									
		कक्षा–6 से 8									

खाद्यान्न वितरण के उक्त कार्य के पूर्व प्रदत्त समयावधि के अनुरूप 25 जून, 2020 से पूर्व अनिवार्य रूप में निष्पादन हेतु ब्लॉक स्तर से संभाग स्तर तक के समस्त कार्यालयों में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाकर प्रतिदिन आधार पर सूचना संकलन का कार्य निर्धारित प्रपत्र में अग्रांकित निर्देशानुसार सम्पन्न किया जाएगा :–

1. ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित पीईईओ द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों की सूचना ब्लॉक कार्यालय को तत्दिवस प्रदान की जाएगी। शहरी क्षेत्र में संबंधित सीबीईओ कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा शहरी संकुल केन्द्र प्रभारियों के मार्फत् उक्त सूचना संकलन का कार्य संपादित किया जाएगा।
2. समस्त PEEO & Urban CRCF से प्रतिदिन प्राप्त समेकित सूचना सीबीईओ द्वारा तत्दिवस जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक कार्यालय को प्रेषित की जाएगी, जहां संबंधित ADEO द्वारा उक्त कार्य का सतत् प्रबोधन करते हुए संपूर्ण जिले की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन संभाग कार्यालय को जरिए ई–मेल प्रेषित की जाएगी। CDEO कार्यालय द्वारा संपूर्ण जिला क्षेत्राधिकार में उक्त कार्य के निर्विघ्न निष्पादन हेतु अधीनस्थ अधिकारियों का समुचित पर्यवेक्षण करते हुए वांछित सम्बलन प्रदान किया जाएगा।
3. संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा अधीनस्थ जिलों से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त सूचनाओं को प्रतिदिन समेकन उपरान्त निदेशालय की ई–मेल आई डी secondarydd35@gmail.com पर प्रेषित किया जाएगा। समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक उक्त कार्य का स्वयं सतत् प्रबोधन करेंगे तथा निर्धारित समयावधि में संभाग क्षेत्राधिकार में शत–प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति की सुनिश्चितता करवाएंगे।

उपर्युक्त प्रदत्त निर्देशों की पालना में किसी भी स्तर पर कोताही बरतने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध सक्षम स्तर से तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए। संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य में उदासीनता/शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध प्रारम्भ की गई कार्यवाही के संबंध में तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को अवगति प्रदान की जाएगी।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, मिड डे मील, आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,समग्र शिक्षा अभियान ।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

E:\Genral letter.docx

935